

उत्पाद प्रपत्र संख्या-I B

विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) भण्डारण एवं बिक्री के लिए थोक अनुज्ञप्ति जिसके तहत कॉरपोरेशन के गोदाम से जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति हो ।

(केवल झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि०, राँची के लिए)

जिला का नाम - दुमका

रजिस्टर सं० 71 में लाइसेंस सं० 01/2013-14

लाइसेंस की तारीख.....

अनुज्ञाधारी का नाम.....

लाइसेंस अवधि 01.07.2013 से 31.03.2014 तक चालू

बिक्री गोदाम का स्थान दुमका

चौहद्दी.....

वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस 6,00,000/- (रु. छह लाख रुपये)

अग्रिम रूप में भुगतान रु० 6,00,000/- (रु. छह लाख) चा० सं० 56 दिनांक 25.06.2013

विदित हो कि सर्वश्री झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि० को जिला के उपायुक्त दिनांक 01.07.2013 से 31 मार्च, 2014 तक पेय विदेशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं, ताकि जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को इसकी आपूर्ति हो सके ।

1- इस लाइसेंस के चालू रहने की शर्त के रूप में लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित अनुच्छेदों और सभी उत्पाद शुल्क लाइसेंसों पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा ।

2- झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार को जिला के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्ति के लिए अग्रिम के रूप में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रु० 6,00,000/- का भुगतान करेगा । वह वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान संबंधित जिला स्थित कोषागार/उप कोषागार में करेगा ।

सहायक मुख्य अधिकारी, झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि० राँची के पत्रांक 1597 दिनांक 24-3-2014 के आदेशों में उपायुक्त दुमका के आदेश दिनांक 31-3-2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया गया ।

अधीक्षक उत्पाद
31/3/2014 दुमका-सह-गोडडा

आरखंड सरकार उत्पाद एवं मध्य निर्वेद्य वेमाता
 के अधिपना संख्या 429 दिनांक 09-03-2015 के
 आलेख में सम्पूर्ण आरखंड राज्य के लिए समेकित
 अग्रिम अनुज्ञापुस्तक सौ० 10,00,00,000=00 (दस करोड़)
 रुपया वाला नं० 88 दिनांक 19-03-2015 डाटा प्रोसेसर
 भवन, धुर्वा शंखी में जमा करने के उपरान्त उपयुक्त
 पुस्तक के संचिका आदेश दिनांक 31-03-2015 के
 डाटा वर्ष 2015-16 (01-04-2015 से 31-03-2016 तक)
 के लिए अनुमति नवीकरण किया गया।

M. S. / 31/3/15
 अधीक्षक उत्पाद
 दुमका-सह-गोडडा

ay / 31/3/16

आयुक्त उत्पाद आरखंड शंखी के पत्रांक, 1296 दिनांक
 29-3-2016 के आलेख में उपयुक्त पुस्तक के
 आदेश दिनांक 31-03-2016 डाटा (दिनांक 01-04-2016
 से 31-03-2017) वर्ष 2016-17 के लिए नवीकरण
 किया गया।

M. S. / 31/3/16
 अधीक्षक उत्पाद
 दुमका-सह-गोडडा

ay / 31/3/16

आरखंड सरकार
 आरखंड-सह-गोडडा

अनुज्ञप्ति सं० ०१/२०१३-१५

उत्पाद प्रपत्र - २७ ड

अनुज्ञाशुल्क २७२५५९/

पा० सं० १२२-दि० ०३०

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गतडुमका..... जिला में देशी/मसालेदार देशी शराब
के भण्डारण एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति

(केवल झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि०, राँची के लिए)

इसके द्वारा झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है, कोडुमका..... जिला की देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों को देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, १९१५ की धारा-२० के उपबन्धों एवं इसमें आगे बताई गई शर्तों के अधीन उपायुक्त के द्वारा दिनांक- ०१-०७-२०१३ से ३१-०३-२०१५ के लिए निम्नांकित शर्तों के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, यथा -

शर्तें

- १- इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची गई शराब आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी ।
- २- अनुज्ञाधारी झारखण्ड उत्पाद अधिनियम १९१५ के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनाई गई नियम से जहाँ तक उनका उनसे संबंध हो आवश्यक रहेगा ।

महाप्रबंधक, ऑपरेशन, झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि०, राँची
पत्रांक १५९८ दिनांक २५-३-२०१५ के आदेश में, उपायुक्त (दुकान) के आदेश
दिनांक ३१-०३-२०१५ के अन्तर्गत २०१५/१५-के दि० ०३ अनुज्ञप्ति लकीकरण
विनियमन किया ।

०१/१५

अधीक्षक उत्पाद

समपूर्ण कार्यक्रमों राज्य के लिए निर्धारित देशी
 शराब एवं मसालेदार देशी शराब की न्यूनतम
 उत्पादक मात्रा पर- 2/- रु० प्रति किलो की०लीटर
 की दर से गणना कर अनुशासक की
 समेकित शर्ति- 3,13,35,860-00 (तीन करोड़ तेरह
 लाख पैंतीस हजार आठ सौ साठ) रुपया प्राजेक्ट
 के अन्तर्गत, धुबरी जिले के क्षेत्र में- चालाक रु० 87 दिनांक
 19.3.2015 द्वारा जमा करने के उपरान्त उपर्युक्त,
 कुल के संचिका कादेश दिनांक 31.03.2015 द्वारा
 वर्ष 2015-16 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक)
 के लिए नवीकरण किया गया।

M.D.
 31/3/15

अधीक्षक उत्पाद
 दुमका-सह-गोडडा

ay

आयुक्त उत्पाद, मसालेदार देशी के पत्रांक 1296 दिनांक
 29.3.2016 के द्वारा जमा करने के उपरान्त कुल का
 आदेश दिनांक 31.3.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 (दिनांक
 01.4.2016 से 31.03.2017) के लिए नवीकरण किया
 गया।

M.D.
 31/3/16

अधीक्षक उत्पाद
 दुमका-सह-गोडडा

ay
 31/3/16